न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 72/2022

प्रार्थी बनाम **अप्रार्थीगण**

1 दिनेश विश्नोई पुत्र तेजाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी– ग्राम भाणीया तहसील– सोजत, जिला– पाली।

01. सुखाराम उर्फ बस्तीराम पुत्र आसुराम जाति लौहार निवासी– ग्राम भाणीया तहसील सोजत जिला पाली।

02. स्व. दुर्गाराम पुत्र आसुराम के कायम मुकाम उतराधिकारीगण–

02/01 पप्पाराम पुत्र दुर्गाराम

02/02 हीराराम पुत्र दुर्गाराम जातियान– लौहार निवासी– ग्राम भाणीया तहसील– सोजत, जिला– पाली।

03. स्व. पोकरराम पुत्र आसुराम के कायम मुकाम विधिक उतराधिकारीगण–

03/01 रतनलाल पुत्र पोकरराम

03/02 कूकाराम पुत्र पोकरराम जातियान– लौहार, निवासीयान– निवासी– ग्राम भाणीया तहसील– सोजत, जिला– पाली।

04. गणेशराम पुत्र आसुराम जाति लौहार निवासी– ग्राम भाणीया तहसील– सोजत, जिला– पाली।

05. सांवलराम पुत्र भोपालराम जाति देवासी निवासी– ग्राम भाणीया तहसील– सोजत, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री पुनित दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21-11-22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम भाणीया पटवार हल्का राजौला कलां भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपडा तहसील– सोजत जिला पाली मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि जोत की भूमि ख0न0 14 व 15/475 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 17 रकबा 1.000 हैक्टर तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 1.0000 हैक्टर में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 14 रकबा 1.4200 हैक्टर व 15/475 रकबा 0.9800 है0 किस्म वा0अ0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात

पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम भाणीया पटवार हल्का राजौला कलां भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपडा तहसील– सोजत जिला पाली राज0 के अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 1.4200 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 05 के खसरा संख्या 15/475 रकबा 0.9800 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 17 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 21.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/2833 दिनांक 16.11.2022 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चौपडा, सोजतसिटी द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि आज दिनांक 14.07.2022 को श्रीमान तहसीलदार, सोजत के आदेशानुसार से भू0अभि0 निरीक्षक चौपड़ा नरपतसिंह, पटवारी जोराराम बेड़ा पटवार मंडल राजोला कलां मौतबिरान सहित रास्ता प्रयोजनार्थ मौका रिपोर्ट बाबत् मौके पर पहुँचे। प्रार्थी दिनेश विशनोई अपनी खातेदारी भूमि पटवार मण्डल राजोला कलां ग्राम भाणीया के खसरा नम्बर 17 रकबा 1.000 हैक्टर ने आवागमन हेतु पटवार मण्डल राजोला कलां ग्राम भाणीया के खसरा नम्बर 14 रकबा 1.4200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 15/475 रकबा 0.9800 हैक्टर में से रास्ता प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया है एवं चाहा गया रास्ता पहुंच मार्ग से अधिक दूरी है। जबकि न्यूनतम दूरी रास्ता खसरा नम्बर 14 एवं 15 से दूरी पर स्थित है जिस न्यूनतम दूरी रास्ते को देने पर खसरा नम्बर 14 के दो भाग होते है अतः प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल खसरा नम्बर 15/475 में से 0. 0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 14 में से 0.0350 हैक्टर है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान को मौका फर्द पढकर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि पटवार मण्डल राजोला कला के ख0न0 17 रकबा है0 किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु पटवार मण्डल राजोला के खसरा नम्बर 14 रकबा 1.4200 हैक्टर एवं खसरा

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

नम्बर 15/475 रकबा 0.9800 हैक्टर में से रास्ता प्रयोजनार्थ आवेदन किया है। उक्त मांगा गया रास्ता पहुॅच मार्ग से न्यूनतम दूरी पर है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 14 रकबा 1.4200 हैक्टर में से (04 मीटर × 125 मीटर= 0.0500 है0) व खसरा नम्बर 15/475 रकबा 0.9800 हैक्टर में से (4 मीटर × 87.5 मीटर = 0. 0350 है0) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 99509/— रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (99509/— रू0 × 2 × 0.0500 है0 = 9951/— रूपये तथा 99509/— रू0 × 2 × 0.0350 है0 = 6966/— रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 14, 15/475 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चौपडा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 17 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 14 व 15/475 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 17 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 14 व 15/475 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूॅच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित हुआ है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 शिवपुरा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 14 एवं 15 में सें नजदीकतम मार्ग होने का स्पष्ट अंकन है। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 15 के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया है न ही खसरा नम्बर 15 में

Gehot
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

से मार्ग चाहा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्राथीगण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया गया है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अन्तर्गत धारा 251 (क) का क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही करने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्जा दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 2/11/22 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)